झटका | हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करने से किया इंकार

रीवा के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को झटका

जबलपुर। रीवा जिला की सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर की गयी चुनाव याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका में उठाये गये मामले को ट्रायल के दौरान ही तथ्यो व साक्ष्यो पर परखा जा सकता है।

रीवा जिला की सेमरिया विधानसभा सीट पर साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के पराजित उम्मीदवार के पी त्रिपाठी ने निर्वाचित कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। कांग्रेस विधायक ने चुनाव याचिका खारिज किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था।

आवेदन की सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि

याचिकाकर्ता का आरोप है कि निर्वाचित विधायक के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज है। उन्होने अपने चुनाव के हलफनामा में कोई अपराध दर्ज होने की जानकारी नहीं दी है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी प्रस्तुत की थी। अनावेदक विधायक की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि निर्वाचन पत्र प्रस्तुत करते हुए उनके खिलाफ कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं था।

याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी आरोप लगाये गये कि निर्वाचित विधायक ने अपने हलफनामा में आर्थिक जानकारी भी छुपाई है। उनके नाम पर एचडीएफसी बैंक में 50 लाख 87 लाख रुपये का लोन बकाया है। अनावेदक विधायक की तरफ से तर्क दिया गया कि लोन मेसर्स अभय मिश्रा कॉन्ट्रैक्टर ने नाम पर लिया था। अनावदेक निर्वाचित विधायक उसके पार्टनर थे परंतु 2008 में रिटायर हो गये थे। एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि बैंक स्टेटमेंट की कॉपी में अनावेदक अभय मिश्रा का नाम बॉरोअर के तौर पर दिखाया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अनावेदक विधायक ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में आय का स्त्रोत पेंशन व सैलरी बताया था। उन्होने पेंशन व सैलरी प्राप्त होने वाले प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की डिटेल्स नहीं दीं है। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि उक्त कंपनियों के डायरेक्टर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कंपनी एक्ट के प्रावधान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इसकी जानकारी दे दी गई थी।

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका में नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामा में जरूरी जानकारी छिपाने के बारे में खास बातें कही हैं। चुनाव याचिका में लगाये गये आरोप सही पाये जाते है तो विजयी उम्मीदवार का चुनाव निरस्त किया जा सकता है। ट्रायल के दौरान साक्ष्य व तथ्यो का परीक्षण किये बिना उसे खारिज नहीं किया जा सकता है।

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि उक्त चुनाव याचिका जनवरी 2024 में दायर की गयी है। अभी तक अनावेदक की तरफ से लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। एकलपीठ ने अनावेदक विधायक को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये।

दूधी नदी से हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पीएस माइनिंग व नरसिंहपुर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस

मप्र हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर के गाडरवारा स्थित दूधी नदी के कसेला घाट में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन का आरोप लगाने वाले मामले को गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने प्रमुख सचिव माइनिंग, कलेक्टर नरसिंहपुर, माइनिंग अधिकारी व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देतेहुए अधिकारियों को अवैध खनन रोकने के निर्देश दिये है। यह मामला नरसिंहपुर निवासी कमलेश चौधरी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता बृजेंद्र स्वरूप साहू ने पक्ष रखा। दलील दी गई कि उक्त क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुमति या खनन लीज के भारी मशीनों पोकलेन, जेसीबी, ट्रैक्टर एवं ट्रकों, का उपयोग कर खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, नदी तटों का कटाव बढ़ रहा है तथा पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों द्वारा 30 दिसंबर 2025 को जन सुनवाई में जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश के साथ अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

दफ्तरों के गलियारे

हम तो बड़े साहब हैं...

अक्सर देखा जाता है कि जितने बड़े पद का अफसर होता है, उतनी ही विनम्रता और बात करने की तहजीब रखते है, वहीं जितने छोटे पद का अफसर होता है, उससे ज्यादा उसमें अकड़ होती हैं। लेकिन जिले के एक सबसे बड़े अफसर शायद लोगों से बात करने में रुचि नहीं रखते हैं। एक वाक्या के दौरान जब किसी शिकायत के सिलसिले में कुछ जानकारी लेनी चाही तो साहब के तेवर ऊंचे आसमान में थे, उनको शिकायत सुनने में कोई खास रुचि नहीं लगी तो उन्होंने साफ कह दिया हम साहब हैं कोई छोटे अफसर नहीं। लोगों से जैसा सुना है कि बड़े अफसर हमेशा सादगी से पेश आते हैं, वैसा हर बार देखने को नहीं मिलता। यहां बड़े अफसर के तेवर भी बड़े हैं, जिसके कारण उनसे वार्तालाप भी करना स्वयं को अपमानित महसूस कराता है।

क्या कोटा मंडल के मुखिया होंगे बॉस ?

लगभग एक माह होने को है और रेलगाड़ी के जोन की सबसे बड़ी कुर्सी अभी तक खाली पड़ी है। हालांकि इस कुर्सी का अस्थाई तौर पर एक साहब को चार्ज दिया गया है लेकिन इन दिनों दफ्तरों के गलियारो में अक्सर एक ही चर्चा सरगर्मी से चलती है कि आखिर इस आसन का अगला दावेदार कौन होगा ? सोमवार को भोजन अवकाश के वक्त कर्मचारियों के बीच चली कुर्सी कथा में सबसे ऊपर जो नाम निकलकर आया वो कोटा मंडल के मुखिया का था। हालांकि इस बात पर अभी कोई औपचारिक मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन उड़ती उड़ती चर्चाओं को नकारा भी नहीं जा सकता है।

अरे क्यों हमारा खून चूस रहे हो....

शीर्षक लाल रंग की छुट्टियों से रंगे मार्च माह के कैलेंडर से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक सिपाही ने छुट्टियों की लिस्ट पढ़ी तो लपक कर बोला, सरकारी वालों की मौज है, छुट्टियों का ऐसा तड़का लगा है कि बस चैन ही चैन है तो पास खड़े दूसरे जवान ने लंबी आह भरी। तभी तीसरे ने तंज कसा, झल्लाकर बोला, अरे क्यों हमारा खून चूस रहे हो छुट्टियों की बात करके ? क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो भाई ? हंसी-मजाक का दौर शुरू हुआ तो एक बोला हमारे लिए तो हुड़दंग रोकना, कानून व्यवस्था संभालना है और संडे का मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी है। दूसरे ने चुटकी ली अरे, हमें तो छुट्टी तब मिलती है जब कैलेंडर में तारीख खत्म हो जाती है! खैर, थोड़ी देर तक छुट्टियों के दुखड़े और खाकी के दर्द पर चटकारे लेने के बाद, अचानक वायरलेस गूंजा। सब एक-दूसरे को देख मुस्कुराए, अपनी टोपी सीधी की और बेल्ट कसी और काम में जुट गए उन्हें बखूबी पता था कि जब त्यौहार मनेगा तो उनकी ड्यूटी की असली शुरुआत होगी।

अमन पटेल, धनंजय श्रीवास्तव, अजहर खान

असहयोगी वेयरहाउसों को क्यों मिले प्राथमिकता?

धान खरीदी से सबक लेकर प्रशासन को तय करनी होगी जवाबदेही

नवभारत, जबलपुर। आगामी अप्रैल माह से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होने की संभावना है जिसको लेकर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। इसमें सबसे पहले केंद्र बनाने और गोदाम की चयन प्रक्रिया चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो वेयरहाउस संचालक धान उपार्जन के समय प्रशासन के साथ खड़े नहीं हुए, क्या उन्हें अगले उपार्जन में फिर से प्राथमिकता दी जानी चाहिए? यह न केवल अनुचित होगा, बल्कि उन संचालकों के साथ भी अन्याय होगा जिन्होंने हर परिस्थिति में

सहयोग किया। यदि असहयोग के बावजूद ऐसे वेयरहाउस संचालकों को अवसर मिलता रहा, तो यह गलत संदेश जाएगा और जवाबदेही की भावना कमजोर पड़ेगी।

वेयरहाउस करने पड़े थे अधिग्रहित

विदित है कि पिछले धान उपार्जन सीजन में जो स्थिति सामने आई, उसने पूरी व्यवस्था की कमजोर कड़ी उजागर कर दी थी। जिसमें धान उपार्जन के समय कई वेयरहाउस संचालकों ने भंडारण के लिए अपने गोदाम उपलब्ध कराने से साफ इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप शासन-प्रशासन को वेयरहाउस अधिग्रहित करने जैसे कदम उठाने पड़े थे।

सख्त नीति से ही निकलेगा समाधान

धान उपार्जन से सबक लेकर प्रशासन को अब सख्त और स्पष्ट नीति बनाने की जरूरत है, जिसमें सहयोग करने वालों को प्राथमिकता और असहयोग करने वालों को सूची से बाहर करना होगा। जिसके कारण उपार्जन के समय होने वाली गड़बड़ी और धांधली से भी बचा जा सकता है। कई बार देखा गया है कि खरीदी करने वाली समिति और वेयरहाउस संचालकों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के घोटाले उजागर होते है।

59 .34 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा कर ननि ने मारी बाजी

सीएम हेल्पलाइन निराकरण में प्रदेश में चौथी बार नंबर वन

नवभारत, जबलपुर। नगर निगम जबलपुर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में प्रदेश में लगातार चौथी बार बाजी मार ली है। वेटेज स्कोर के आधार पर 99.16 प्रतिशत प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया है। दरअसल निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार की मेहनत, सतत् प्रयास एवं मॉनिटरिंग रंग लाई है। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नगर निगम को प्राप्त अधिकांश शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर नगर निगम ने वेटेज स्कोर के आधार पर 99.16

प्रतिशत प्राप्त कर प्रदेश में जबलपुर नगर निगम ने चौथी बार बाजी मारी है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के मार्गदर्शन में नगर निगम द्वारा कुल 2 हजार 7 सौ 23 शिकायतों में से लगभग 59.34 प्रतिशत शिकायतों का

शिकायतकर्ताओं से चर्चा कर उनकी संतुष्टि के उपरांत निराकरण कराया गया है। नगर निगम को इसके लिए मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी ग्रेडिंग लिस्ट में प्रदेश में चौथी बार प्रथम रैंक प्राप्त करते हुए ए ग्रेड प्राप्त किया है। इस प्रकार नगर निगम जबलपुर के द्वारा अधिकतम प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक एवं साकारात्मक निराकरण किया गया। निगमायुक्त ने इस उपलब्धि के लिए टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी और आगे भी इसी तरह से काम करने की प्रेरणा भी दी।

रैंकिंग बनाए रखने टीम भावना से करेंगे मेहनत

निगमायुक्त श्री अहिरवार ने बताया कि सभी शिकायतों के निराकरण के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को सही दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन दिये गए, जिसके परिणाम स्वरूप नगर निगम जबलपुर द्वारा यह उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब आगे भी इसी प्रकार रैंकिंग बनाए रखने की दिशा में टीम भावना से मेहनत करेंगें।

प्रतिमाह शासन स्तर पर जारी होती है ग्रेडिंग

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन स्तर पर प्रतिमाह नगर निगम के कार्यो की ग्रेडिंग जारी की जाती है। जिसके अंतर्गत माह फरवरी 2026 की ग्रेडिंग जारी हुई है, जिसमें जबलपुर को ए ग्रेड और प्रदेश के सभी नगर निगमों में चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह निगम के लिए बड़ी उपलब्धि है।

अब बताना पड़ेगा ओटीपी, कालाबाजारी रोकने बदले गए नियम

जबलपुर, नवभारत। रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने और लक्षित लाभार्थियों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब उपभोक्ताओं को अपने घर पर सिलेंडर प्राप्त करते समय 4 अंकों का वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी साझा करना अनिवार्य होगा। इस नई व्यवस्था को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के नाम से जाना जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस सिलेंडर सही व्यक्ति के पास ही पहुंच रहा है। जबलपुर में गैस कम्पनियों ने वितरकों के माध्यम से ये जानकारी साझा की है।

बरतनी होगी सावधानी

इस प्रक्रिया के तहत जब भी डिलीवरी बॉय उपभोक्ता के घर पर सिलेंडर लेकर पहुंचेगा, ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से एक कोड भेजा जाएगा।

डिलीवरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए ग्राहक को यह कोड कर्मचारी को बताना होगा। जब तक कर्मचारी अपने उपकरण में इस ओटीपी को दर्ज नहीं करेगा, तब तक सिस्टम में डिलीवरी को पूर्ण नहीं माना जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता बिना ओटीपी साझा किए सिलेंडर प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो भविष्य में उसे नई बुकिंग करने में तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट किया गया है कि यह ओटीपी केवल घर पर आए डिलीवरी प्रतिनिधि को ही प्रत्यक्ष रूप से देना है। फोन कॉल या मैसेज के माध्यम से किसी भी अनजान व्यक्ति को यह गुप्त कोड बताने से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है। सुचारू सेवा के लिए उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी संबंधित गैस एजेंसी के रिकॉर्ड में अपना वर्तमान मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें ताकि बुकिंग और वितरण संबंधी सूचनाएं समय पर प्राप्त हो सकें।

नियमों में हुआ बदलाव, अब कर्मचारियों को नहीं होगी परेशानी

जबलपुर, नवभारत। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों के लिए जारी किए जाने वाले मेडिकल पास में अहम बदलाव किए हैं। रेल मंत्रालय के इस नए आदेश का उद्देश्य उन मुश्किलों को दूर करना है, जिनका सामना कर्मचारियों को मेडिकल इलाज के बाद वापसी की यात्रा के लिए पास लेने में करना पड़ता था। इससे पश्चिम मध्य रेलवे के कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि दूसरे शहरों में इलाज कराने के बाद वापसी की यात्रा के दौरान कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना

करना पड़ता है। इसकी मुख्य वजह यह थी कि शुरुआती मेडिकल पास पर जारी करने वाले अधिकारी का एंडोर्समेंट (पुष्टि) नहीं होता था। इस वजह से, जिस रेलवे ज़ोन में अस्पताल होता था, वहां के अधिकारी वापसी की यात्रा के लिए नया पास जारी नहीं कर पाते थे।

एंडोर्समेंट जरूरी

इस समस्या को हल करने के लिए, बोर्ड ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि अब हर आउटस्टेशन मेडिकल पास पर संबंधित अधिकारी का एंडोर्समेंट होना ज़रूरी है। यह एंडोर्समेंट अस्पताल वाले रेलवे ज़ोन के अधिकारी को कर्मचारी की वापसी की यात्रा के लिए मेडिकल पास जारी करने का अधिकार देगा। नए नियमों के तहत, कर्मचारियों को मेडिकल पास की एक कॉपी, टिकट की एक कॉपी, और अस्पताल से जुड़े दस्तावेज़—जैसे रसीदें, पर्चे या डिस्चार्ज समरी जमा करने होंगे। इन दस्तावेज़ों का इस्तेमाल यह जाँचने के लिए किया जाएगा कि क्या कर्मचारी का इलाज तय समय से ज़्यादा चला, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ ज़्यादा समय तक रुकना पड़ा।

रिस्टोरेशन बना जानलेवा, हल्की बारिश में धंसी सड़क

जबलपुर। अमृत जलम-2 के अंतर्गत कटंगा से ग्वारीघाट तक बिछाई है पाइप लाइन के दौरान हुई खुदाई के बाद सड़क का रिस्टोरेशन जानलेवा बन गया। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश ने नगर निगम की लीपापोती वाली कार्यप्रणाली की हकीकत जनमानस के सामने आ गई। ज्ञात है कि शहर में बिछाई गई पाइप लाइन और उसके बाद सड़क का किया गया री-स्टोरेशन के तहत बनाई गई सडक लगभग 6 इंच तक धंस गई । पाइप लाइन बिछाने के बाद जनता की सुविधा को देखते हुए तथा राजनैतिक दबाव ने सड़क की पुराई आनन-फानन में करके डामरीकरण कर दिया गया, किंतु बीते दो दिनों गिरे पानी ने काम की लीपा-पोती की पोल खोल दी।

यहां मच गया कीचड़

रिस्टोरेशन की यही कार्यप्रणाली ने कांचघर चौक से पुल नंबर 2 के बीच के मार्ग में कीचड़ ने लोगों को निकलना मुश्किल के दिया है। कल से लेकर आज तक कई वाहन सवार फिसलकर गिर चुके हैं।

कम बारिश में ही खुल गई पोल

गुरुवार और शुक्रवार दो दिन को मिलाकर मात्र आधा इंच से कम (12.2 मिलीमीटर) बारिश हुई है। इतनी कम बारिश में ही सड़क की यह दशा हो गई है। जानकारों का कहना है कि सड़क के री-स्टोरेशन के लिए पानी भरपूर सिंचाई कर रोलर चलाकर मिट्टी को दबाया जाता है। यह प्रकिया कम से कम 6 से 7 बार की जाती है। उसके बाद हाईमुरम और गिट्टी की पुराई के साथ फिर रोलर दबाकर सड़क को री-स्टोर किया जाता है, किंतु यहां सिर्फ एक बार यह प्रक्रिया की गई जिससे सड़क हल्की बारिश में ही धंस गई।

एलएलएम छात्र को हाईकोर्ट से राहत

तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल करने के निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एलएलएम के एक छात्र को राहत प्रदान की है। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने आवेदक छात्र को एटीकेटी के साथ तीसरे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिये है।

यह मामला जबलपुर निवासी एस अकील की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता अमित रायजादा व राजेन्द्र कुशवाहा ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबद्ध एनईएस महाविद्यालय से एलएलएम की पढ़ाई कर रहा है। उसकी प्रथम सेमेस्टर में एटीकेटी आई थी। प्रबंधन का कहना था कि एटीकेटी उत्तीर्ण किए बिना उसे तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त राहत कारी आदेश दिया।

TIMES COLLEGE OF EDUCATION
In front of Vaishali Nagar, Dist. Damoh (M.P.), 470661
Affiliated to Dr. Hari Singh Gour University, (A Centeral university) Sagar
hr.times11@gmail.com. +91 6232616479, +91 9424910010
FACULTY REQUIRED UNDER COLLEGE CODE 28

SR. NO.	VACANCY	NO. POST	QUALIFICATIONS (Min. %)
1.	Principal	01	PG (55%) , M.Ed , P.hD (Education), 10 Years Exp.
2.	Lecturer Education. (Humanities)	12	PG (55% in Art's / Commerce Sub.) , M.Ed , Net / P.hD
3.	Lecturer Education. (Science)	06	PG (55% in Scieence Sub.) , M.Ed , Net / P.hD
4.	Sports Officer / Coach	02	M.P.Ed (Min. - 55%)
5.	Fine Art Teacher	02	M.A. Fine Arts (Min. - 55%) or MFA
6.	Music Teacher	02	M.A. Music (Min. - 55%)
7.	Lecturer (Subject Wise)	01 Each	PG (55% in Particular Sub.) - Maths, Physics, Botany, Zoology, Chemistry, Bio.Tech., Commerce, Management, Computer, History, Economics, Sociology, Political Science, Hindi, English

Note :- Interested candidates may apply by sending applications with CV/Resume and all testimonials along with 2 photograps via email or whatsapp or by post within 15 days. E-Mail at hr.times11@gmail.com or Whatsapp - 6232616479
CHAIRMAN

SHIVAM CERAMIC JABALPUR
महाकौशल का सबसे बड़ा शो-रूम
टाइल्स, इटैलियन मार्बल, ग्रेनाइट, सेनेटरी वेअर
GROHE, Bath Fitting, QUTONE, COLORTILE, SERON & LAVISH टाइल्स की आधुनिक रेंज
MG शो-रूम के बाजू में, नागपुर रोड, मदन महल, जबलपुर - 9425188774, 8224045555

केवल दवाइयों द्वारा हार्ट का इलाज
बिना एंजियोग्राफी
बिना एंजियोप्लास्टी
बिना बाईपास सर्जरी
बिना भर्ती किये
Google 4.9 STAR
23 वर्ष के अनुभव के साथ
हृदय रोग विशेषज्ञ
डॉ. अतुल महेरे
सटीक सलाह से 5 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ
समय 11.00 से 5.00
स्पंदन हार्ट क्लीनिक
पता-भंवरताल पार्क चौराहा, नेपियर टाउन, जबलपुर मो.-7805082378

नवरात्रि एवं ईद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
JYOTI
INNER ZONE
10% से 15% तक की भारी छूट
LUX cozi INNER WEAR | AMUL MACHO | JOCKEY | RUPA | DIXCY SCOTT
1222, Main Road Ganjipura, Near Super Market, Jabalpur (MP) 0761- 4038008

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57